संख्या : 2302/दस-2003-56/84

प्रेषक,

श्री आनन्द मिश्र
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय संयोजक,
उत्तर प्रदेश इम्पलाइज बेनीवोलेण्ट फण्ड,
22 स्टेशन रोड, लखनऊ ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 27 अगस्त, 2003

विषय: उत्तर प्रदेश के इम्प्लाइज बेनीवोलेण्ट फण्ड से राजकीय सेवकों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:उ0प्र0इम्प0बेनी0फण्ड-पत्रा-55/91/86286/2003, दिनांक 01-04-2003 द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है कि बेनीवोलेण्ट फण्ड से लाभार्थियों को एकाउण्टपेयी चेकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयाँ उठानी पड़ रही हैं तथा समय से भुगतान न होने के कारण कालातीत चेकों को निदेशालय द्वारा पुन: तैयार कर भेजना पड़ रहा है ।

2- अतएव उक्त समस्या के निराकरण हेतु शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या:बीमा-3291/दस-56/1984, दिनांक 29 नवम्बर, 1984 के प्रस्तर-4 में भी संशोधित करते हुए निर्णय लिया गया है कि लखनऊ जनपद से बाहर के लाभार्थियों को उक्त योजनान्तर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता एकाउण्टपेयी चेक के स्थान पर एकाउण्ट पेयी बैंक ड्राफ्ट समूल्य (स्टाम्प) पर बनवाकर लाभार्थियों को भुगतान करने की कार्यवाही की जाय ।

3- उक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी परन्तु यदि पूर्व में किसी मामले में एकाउण्ट पेयी चेक कालातीत हो जाने के कारण भुगतान न हो पाया हो तो उसके स्थान पर समूल्य पर एकाउण्ट पेयी बैंक ड्राफ्ट बनवाकर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जा सकती है ।

4- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ जनपद के लाभार्थियों को उक्त योजनान्तर्गत दी जाने वाली सहायता पूर्ववत् एकाउण्टपेयी चेकों द्वारा ही दी जायेगी ।

5- उपरोक्त के संबंध में पूर्व में निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 29-11-1984 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय । अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी ।

भवदीय,

(आनन्द मिश्र)
सचिव ।

संख्या:एस0सी0-2302(1)/दस-2003, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
3- विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय ।
4- श्री राज्यपाल सचिवालय ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

आज्ञा से,

(एम0एस0ए0 सिद्दीकी)
अनु सचिव ।